

	परियोजना/स्कीम का स्थान	
I.	राज्य/सघ शासित क्षेत्र-	उ०प्र० राज्य
II.	जिला -	बाराबंकी
III.	वन प्रभाग -	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी
IV.	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)	0.498 हेक्टर
V.	वन की कानूनी स्थिति -	संरक्षित वन
VI.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आरएल - 4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	लागू नहीं है।
VII.	हरियाली का पन्ना	न्यून।
VIII.	भूस्वाम्य के लिये वन क्षेत्र की सवेनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	समतल एव उथला-ऊ. भूमि होने के कारण वास्तविक उपज (घास/आदियाँ) के फलस्वरूप न्यूनतम सवेनशील है।
IX.	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित सील की वन सीमा	बाराबंकी - देवा - फतेहपुर मॉग क किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी संरक्षित घोषित है। प्रस्तावित वनेतर प्रयोग की भूमि संरक्षित वन क्षेत्र से लगी है।
X.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबोधित की जाएं)।	नहीं।
XI.	क्या क्षेत्र में वनस्फूर्ति और प्राणियत की दुर्लभ/संकेटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हां/तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा दें।	नहीं।
XII.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारस्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि आपत्ति हो दे।	नहीं।
8.	उपमावता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांच गये विकल्प के ब्यारे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	
I.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ उद्योगित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी मू-खण्डों की संख्या प्रत्येक मू-खण्ड का आकार।	प्रस्तावित किया गया है।
II.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/ अवकाशित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
III.	सोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत आधा आदि।	संलग्न है।
IV.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।	
V.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रवन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत- उपयुक्त कालम- 7.8 व 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है-4
12.	दिनांक/ जिला प्रोफाइल	
I.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4402.00 वर्ग किमी०
II.	जिले का वन क्षेत्र	84.75 वर्ग किमी०
III.	मानलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	30 मानलों, क्षेत्रफल-189.0965614 हे०
IV.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि (ख) वनेतर भूमि पर	378.1931228 हे० रिक्त
V.	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	378.1931228 हे० हे० रिक्त
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	विकास कार्य हेतु आवश्यक न्यूनतम संरक्षित वन का प्रयोग वनेतर कार्य के लिए संरक्षित की जाती है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप पर्यावरणीय परिस्थितिक क्षति शुरू है।

दिनांक:- 24-06-015

स्थान:- बाराबंकी

हरताक्षर  
सरकारी मोहर

प्रभागीय निदेशक  
बा० बा० वन प्रभाग  
बाराबंकी